संख्या 29/2015/1610 / सत्रह-म 2015 11-1-द (2)/2006

प्रेषक

चन्द्रकान्त पाण्डेय
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर 2015

विषय केन्द्र पुरोनिधानित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 417/ नि0शा0 / 2015-16 दिनांक 30-10-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 50:50 अनुपात में वित्त पोषित केन्द्र पुरोनिधानित मछुआ दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सदस्यों /सक्रिय मत्स्य पालकों को बीमा से आच्छादित किये जाने का प्राविधान है, जिसमें बीमित व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू0 2.00 लाख तथा अपंगता की स्थिति में रू0 1.00 लाख के बीमा दावों के भुगतान की व्यवस्था है।

उक्त प्रीमियम की राशि में भारत सरकार का अंश रू0 10.135 तथा राज्य का अंश 10.135 प्रति व्यक्ति है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजना के अन्तर्गत रू0 20.27 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसमें प्रीमियम की राशि 50 प्रतिशत राज्यांश रू0 10.135 प्रति व्यक्ति की दर से रू0 2,00,000(दो लाख) व्यक्तियों को बीमा से आच्छादित किये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 20.27 लाख (बीस लाख सत्ताइस हजार) मात्र धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है:-

1. उपरोक्त ध्नराशि कार्यदायी संस्था को तत्काल भुगतान न करके बीमा किश्त ड्यू होने के 15 दिन पूर्व अवमुक्त की जाय।
2. धनराशि का आहरण भारत सरकार द्वारा इसी धनराशि के समतुल्य धनराशि फिशकोफेड को दिये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।
4. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण –पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

२. उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या -17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- आयोजनागत 800- अन्य व्यय 02- नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर फिशरमैन 0201- मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना (के050/रा050 के0 रा0) –42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - बी-1 -1685 /दस-16 /1992 दिनांक 07-07-2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015 /बी0-1-925/दस -2015 -231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत में जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या 29/2015/1610(1)/सत्रह-म-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय,पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन नई दिल्ली।
3- कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ (मर्यादित) नई दिल्ली ।
5- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-2 /नियोजन-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
6- सम्बंधित मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी उ0प्र0 ।
7- प्रबंध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
8 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लाल धीरेन्द्र राव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।